म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./नियमन/बी-6/समर्थन मूल्य/248 पार्ट/1882 भोपाल, दिनांक 19/10/2022

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - ....(समस्त)

विषयः-भारत सरकार की "प्राइस सपोर्ट स्कीम" के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2022-23 मे केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओ के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज "चना, मसूर, एवं सरसों " पर मंडी फीस से छूट के संबंध में।

संदर्भः-मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17 अक्टूबर 2022

उपरोक्त विषयांर्तगत संदर्भित राजपत्र द्वारा भारत सरकार की "प्राइस सपोर्ट" स्कीम के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2022-23 मे केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओ के द्वारा अधिसूचित उपज "चना, मसूर, एवं सरसों " के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किये गये उपार्जन पर प्रदेश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय मात्रा पर, देय मण्डी फीस से छूट प्रदान की गई है। छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपके अंचल की समस्त मण्डियो मे आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

19/10/22
संयुक्त संचालक(नियमन)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./नियमन/बी-6/समर्थन मूल्य/248 पार्ट/1883 भोपाल, दिनांक 19/10/2022
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- सचिव कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला .... (समस्त)।
2- STATE HEAD, NAFED, Hall No. 5& 6 Dwarka Parisar, Arvind Vihar, Baghmughaliya, Bhopal pin 462043

19/10/22
संयुक्त संचालक(नियमन)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned with CamScanner

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 563] भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2022—आश्विन 25, शक 1944

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

क्रमांक AGR-3-0001-2022-SEC-2-चौदह-(AFR).—भारत सरकार की "प्राइस सपोर्ट स्कीम" के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2022-23 में केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज "चना, मसूर एवं सरसों", का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा "प्राइस सपोर्ट स्कीम" के अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज "चना, मसूर एवं सरसों" की प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय मात्रा पर, देय मंडी फीस से छूट प्रदान की जाती है.

अधिसूचित कृषि उपज "चना, मसूर एवं सरसों" के उपार्जन के लिए दिनांक 21 मार्च 2022 से नियत उपार्जन तिथि तक "प्राइस सपोर्ट स्कीम" के अंतर्गत किये गये उपार्जन के लिये मंडी फीस के भुगतान पर उक्त छूट प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजना जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

क्रमांक AGR-3-0001-2022-SEC-2-चौदह-(AFR).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 17 अक्टूबर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजना जैन, उपसचिव.

Scanned with CamScanner

Bhopal, the17th October 2022

No. AGR-3-0001-2022-SEC-2-XIV (AFR).—Notified Agricultural Produce "Chana, Masoor & Sarson" has been procured at Minimum Support Price by the agencies of Union/State Government in Rabi Marketing Season 2022-23. under the Government of India's "Price Support Scheme".

In exercise of the powers conferred in sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, exempts the agencies of Union/State Government for procurement of notified agricultural produce "Chana, Masoor & Sarson" at Minimum Support Price under the "Price Support Scheme" from the farmers of the State, for payment of Market fee.

The above exemption from payment of market fee shall be effective from the date of beginning of procurement in case of "Chana, Masoor & Sarson" from 21st March 2022 to the due date.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJANA JAIN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

Scanned with CamScanner